# पूर्वोत्तर रेलवे

## अधिसूचना

29-7-25

केन्द्रीय पावती/म०प्र० (का) कार्यालय
C.R./GM/(P) OFFICE
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई (एन.जी)I/2024/आर.सी.-04/09 दिनांक 15.10.2024 एवं 31.12.2024 एवं महाप्रबंधक/कार्मिक के पत्र सं० NER-HQOPERS (POLI)/144/2024 दिनांक-24.01.2025 में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोंपरान्त पुल ओपन लाइन/ पूर्वोतर रेलवे एवं पुल कारखाना/गोरखपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग की रिक्तियों को भरने के लिए अधिवर्षिता के पश्चात सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर री-इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया हैः-

| क्रम सं० | विभाग | संवर्ग पदनाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | इंजीनियरिंग | SSE/BR/OL | 04 |
| 2 | इंजीनियरिंग | SSE/BR/GKC | 05 |
| 3 | इंजीनियरिंग | SSE/BR/HQ | 01 |
| 4 | इंजीनियरिंग | JE/BR/OL | 01 |
| 5 | इंजीनियरिंग | JE/BR/GKC | 03 |
| | | कुल | 14 |

उपरोक्त पदों के विरुद्ध अधिवर्षिता के पश्चात् सेवानिवृत रेल कर्मचारियों से संविदा के आधार पर री-इंगेजमेंट करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है, जिनकी शर्ते निम्नवत् हैः-

(1) इस अधिसूचना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 25.08.2025 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं अधिसूचना जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 64 वर्ष से अधिक न हो।

(2) रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार लेवल-09 तक के सेवानिवृत रेल कर्मचारी री-इंगेजमेंट हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

(3) रिक्ति के अनुसार संबंधित कैडर में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत रेल सेवक ही आवेदन डाल सकते है।

(4) री-इंगेजमेट के समय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी DAR/VIG CLEARENCE से मुक्त होना चाहिए।

(5) री-इंगेजमेंट के समय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत कर्मी को निर्धारित श्रेणी में चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

(6) वे कर्मचारी इस अधिसूचना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे जो स्वैच्छिक सेवानिवृति लिए है या SRRS/LARSGESS के तहत सेवानिवृत कर्मचारी या डी.ए. आर. के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत अथवा सेवा से पद मुक्त किये जा चुके है।

(7) यह री-इंगेजमेंट कर्मचारी के द्वारा संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अंतिम 5 वर्ष के APAR के आधार पर किया जा सकेगा।

(8) यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा रि-इंगेजमेंट की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अथवा दिनांक 01.10.2026 की स्कीम अवधि तक होगी।

(9) आवश्यकता न होने पर अथवा आर.आर.बी. या अन्य स्रोत से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर री-इंगेज कर्मचारी को तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(10) री-इंगेज्ड कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भते रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई (एन.जी.)||/2024/आर.सी.-4/9 दिनांक-15.10.2024 आर.बी.ई. से 96/2024 एवं ई (एनजी)-11/2024/आरसी-4/9 दिनांक-31.12.2024 तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हें इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा देय नहीं होगी।

(11) री-इंगेजमेंट किए गए भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

(12) उप मुई/ पुल लाइन/ पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्मिक अनुभाग के कार्यालय, के बाहर इसके लिए एक बॉक्स भी रखा गया है. जिसमें आवेदन डाला जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने कि <u>अंतिम तिथि दिनांक 25.08.2025 सायं 18:00</u> बजे तक है।

(13) यह स्कीम 01.10.2026 तक वैध होगी तत्सम्बंधी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(14) आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

अतः अधिवर्षिता पर सेवानिवृत रेल कर्मचारी जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पुल निरीक्षक संवर्ग में उप मुई/ पुल लाइन के अंतर्गत मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक है, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर (सेवाप्रमाण पत्र एवं पी०पी०ओ० तथा अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति के साथ) <u>दिनांक २5.08.2025</u> तक उप मुई/ पुल लाईन/ पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्मिक अनुभाग में स्थित आवेदन पेटिका में डालें।

**संलग्नकः-** यथोपरि।

सकाधि/पुल

कृते मुकाप्र/पुल लाईन

सं० का /210/री-इंगेजमेंट/उप मुई/ पुल लाइन/366 दिनांक- 25-07-2025

1- सचिव/महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

2. सचिव / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/ पूउरे/ गोरखपुर।

3. सचिव / प्रमुई / पूउरे । गोरखपुर।

4. मुख्य पुल इंजी0/ पूउरे / गोरखपुर।

5. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल कारखाना/गो0छा0

6. उप मुई/ पुल लाईन/पुल कारखाना / गो० छावनी।

7. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।

8. महाप्रबन्धक/कार्मिक को इस अनुरोध के साथ कि पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

9. नोटिस बोर्ड।

<u>कृते मुकाप्र/पुल</u>

Scanned with OKEN Scanner

# आवेदन पत्र

उप मुई / पुल / लाइन .
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,

विषयः री-इंगेजमेंट हेतु आवेदन पत्र

सन्दर्भः उप मुई / पुल / लाइन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं० का/210/री-इंगेजमेंट/उप मुई/ ~~पुल लाइन~~ , दिनांक- 25.7.2025.

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई. (एन.जी.)।।/2024/आर.सी.-4/9 आर.बी.ई. सं० 96/2024 दिनांक 15.10.2024 एवं 31.12.2024 एवं उप मुई / पुल / लाइन गोरखपुर का अधिसूचना सं० का /210/री-इंगेजमेंट/उप मुई/ पुल लाइन , दिनांक-25.7.2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | नाम | | स्व हस्ताक्षरित फोटो |
| 2 | पिता का नाम | | |
| 3 | जन्म तिथि | | |
| 4 | आवेदित पद | | |
| 5 | सेवानिवृति के समय पद | | |
| 6 | कार्यालय जहां से सेवानिवृत हुए है | | |
| 7 | रेलवे मण्डल का नाम | | |
| 8 | सेवानिवृति की तिथि | | |
| 9 | वेतनमान/ग्रेड पे (सातवा वेतन आयोग के अनुसार) | | |
| 10 | अंतिम मूल वेतन | | |
| 11 | पेंशन की रकम (7 CPC के अनुसार) | | |
| 12 | पत्राचार का पता | | |
| 13 | सम्पर्क नंबर (मोबाईल एवं ई-मेल आईडी) | | |
| 14 | पी०पी०ओ० सं० | | |
| 15 | आधार नं | | |
| 16 | संलग्न (हा/नहीं) | 1. सेवा प्रमाण पत्र की या प्रति | |
| | | 2. पेंशन भुगतान आदेश की प्रया प्रति | |
| | | 3. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र | |

Scanned with OKEN Scanner

# घोषणा-पत्र

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबन्धक कार्मिक पूर्वोतर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि रेल सेवा से सेवानिवृत तिथि को मेरे में कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं थी तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विज्ञापन की अंतिम तिथि को मेरी आयु 64 वर्ष से कम है, मुझे ज्ञात है कि री-इंगेजमेंट के संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा उसे स्वीकार करना बाध्यता होगी किसी भी समय रेलवे प्रशासन द्वारा तत्कालीन आवश्यकता की दशा मे री-इंगेजमेंट को निरस्त करने पर की मुझे कोई आपति नहीं होगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

पत्राचार का पता :-

नाम-

पिता का नाम -

सेवानिवृति के समय पद -

पी॰पी॰ओ॰ सं॰-

Scanned with OKEN Scanner